

प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 28.09.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी।

नाबालिग बालिका को बुरी नीयत से पकड़ने व धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा कुल 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदण्ड की सजा।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना तिलहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 05 गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ए.डी.जे.-43, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र रामदयाल निवासी गोपालपुर ठिठौरा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को 04 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना तिलहर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से अभियुक्त को दिलाई सजा

दिनांक 02.01.2018 को वादी द्वारा लिखित तहरीर देकर बताया गया कि दिनांक 01.01.2018 को करीब 12:00 बजे उनकी पुत्री जानवरों का गोबर उठाने गई थी, जहाँ गाँव के राजकुमार पुत्र रामदयाल ने गन्ने के खेत के पास बदनीयती से उसे पकड़ लिया व खेत के अंदर खींचने लगा। वादी की पुत्री द्वारा शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों को आते देख अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मामले की गम्भीरता एवं वादी की तहरीर के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना तिलहर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान एकत्रित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर विवेचक उ0नि0 संसार सिंह द्वारा अभियुक्त राजकुमार के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र रामदयाल निवासी गोपालपुर ठिठौरा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को 04 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण

राजकुमार पुत्र रामदयाल निवासी गोपालपुर ठिठौरा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0 03/2018, धारा 354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण में अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बदनीयत से पकड़ने व धमकी देने का आरोप था। प्रकरण में थाना पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा राजकुमार पुत्र

रामदयाल निवासी ग्राम गोपालपुर ठिठौरा, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है । ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।